भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1528

दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए

अवैध खनन की निगरानी के लिए जियो-टैगिंग

Ł1528 श्री कोंडा विश्वेश्वर:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम के लिए जियो-टैगिंग या अन्य भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए किन-किन राज्यों में जियो-टैगिंग लागू की गई और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए जि यो-टैगिंग और उपग्रह निगरानी बढ़ाने के हेतु किसी प्रौद्योगिकी एजेंसी या संगठन के साथ साझेदारी की है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान अवैध खनन की घटनाओं को कम करने में जियो-टैगिंग कितनी प्रभावी रही है और संबंधी आंकड़े क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): जी, हां। सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी जैसी भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग शुरू कर दिया है। खान मंत्रालय ने अक्टूबर 2016 में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) शुरू की है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अवैध खनन की घटनाओं का पता लगाने और पट्टे की सीमा के बाहर 500 मीटर तक के क्षेत्र की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करना है ताकि अवैध खनन की घटनाओं की जांच की जा सके। एमएसएस को भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) गांधीनगर के सहयोग से विकसित किया गया है।

वर्ष 2016-17 में एमएसएस की शुरुआत के बाद से, परियोजना को प्रमुख खनिज समृद्ध राज्यों जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें शामिल हैं, में कुल 5 चरणों में लागू किया गया था। एमएसएस खनन पट्टों के 500 मीटर के दायरे में भूमि पैटर्न में बदलाव का विश्लेषण करता है। यदि विसंगतियों का पता चलता है, तो अलर्ट सृजित किए जाते हैं और आधारभूत जांच-पड़ताल के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। ये अलर्ट स्वतः अवैध खनन का संकेत नहीं देते हैं, लेकिन संदिग्ध गतिविधियों को उजागर करते हैं जिनके लिए आधारभूत पुष्टि की आवश्यकता होती है। पिछले 3 वर्षों 2021-22 (चरण-III) से 2023-24 (चरण-IV) के दौरान, सिस्टम द्वारा कुल 472 अलर्ट तैयार किए गए और जांच-पड़ताल के लिए राज्य सरकारों को भेजे गए।

*****